# विश्व बैंक

**संपर्क-सूत्र:** *दिल्ली में:* गीतांजलि चोपड़ा (91-11) 2461-7241
ई-मेल: gchopra@worldbank.org
*वाशिंगटन में:* करीना मानासेह (202) 473-1729
ई-मेल: kmanasseh@worldbank.org

## उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में सुधारों के लिए विश्व बैंक की सहायता

*सहायता से भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को पूरा करने में मदद मिलेगी*

**वाशिंगटन, डी.सी., 21 दिसम्बर, 2004** — विश्व बैंक ने आज यहां 620 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण को स्वीकृति प्रदान की, जिससे उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व-पश्चिम *कॉरिडोर* स्थित मुज़फ़्फ़रपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के एक टुकड़े का उन्नतिकरण किया जाएगा। भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना *(नेशनल हाईवे डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट - एनएचडीपी)* का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला यह चौथा ऋण है। इससे परिवहन पर आने वाली लागत को कम करने के साथ-साथ, जिसकी वजह से देश की आर्थिक गतिविधियों में बाधा पड़ रही है, देश के दूरदराज़ और निर्धनतर पूर्वोत्तर भागों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

सड़क परिवहन भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है और भूतल परिवहन की 80 प्रतिशत मांग पूरी करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के ताने-बाने की कुल लंबाई लगभग 65,000 किमी. है। हालांकि यह सड़कों के कुल ताने-बाने के 2 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन 40 प्रतिशत से अधिक यातायात इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर गुजरता है। पिछले दशक के दौरान सतत आर्थिक संवृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात में 6 से 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विश्व बैंक में वरिष्ठ परिवहन विशेषज्ञ तथा इस परियोजना के टॉस्क लीडर **पिअर्स विकर्स** ने कहा, *"इस परियोजना का सीधा-सादा उद्देश्य है: इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले लखनऊ और मुज़फ़्फ़रपुर के बीच बेहतर ढंग से यात्रा कर सकें। यह उद्देश्य यात्रा में लगने वाले समय और परिचालन लागत में कमी करने के साथ-साथ सड़क को और अधिक सुरक्षित बनाकर प्राप्त किया जाएगा। हमें आशा है कि इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का इस्तेमाल करने वालों को और अधिक संतुष्टि होगी।"*

**लखनऊ-मुज़फ़्फ़रपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना** का एक ही घटक *(कंपोनेंट)* है: राजमार्ग का उन्नतिकरण। सड़क का इस्तेमाल करने वाले इसके बुनियादी लाभार्थी हैं, जिनमें से लगभग 65 प्रतिशत कारोबार जगत से

संबंधित हैं। एक उन्नत राजमार्ग प्रणाली से प्रमुख स्थानों के बीच लोगों और माल के आवागमन पर आने वाली लागत और इसमें लगने वाले समय में कमी होगी। राजमार्ग के निकट रहने वाले लोग इसके अन्य लाभार्थी होंगे। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि राजमार्ग के निकट रहने वाले परिवारों के निर्धन होने के अवसर 17 प्रतिशत कम हो जाते हैं तथा काम तक इनकी पहुंच 32 प्रतिशत बढ़ जाती है। राजमार्ग के समीपवर्ती स्कूलों में प्रवेश लेने वालों की संख्या में भी 40 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है।

यह परियोजना भारत सरकार की समग्र राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का अंग है, जिसकी शुरूआत 1998 में हुई थी। इस परियोजना का उद्देश्य लगभग 14,300 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ताने-बाने को प्रबलित और चौड़ा करने के साथ-साथ वर्ष 2008 तक इसे चार लेन वाले मार्ग में बदलना है। यह कार्य पूरा हो जाने पर सारा भारत बहुत अच्छे चार लेन वाले राजमार्गों से जुड़ जाएगा। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों को, वनरोपण, संबंधित काम की मॉनिटरिंग और इसके मूल्यांकन के साथ-साथ सड़क सुरक्षा तथा एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

भारत में विश्व बैंक के कंट्री डाइरेक्टर **माइकेल कार्टर** ने कहा, *''पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर का यह भाग देश के कुछ एक निर्धनतर इलाकों से होकर गुजरता है। आशा है कि सड़क तक आसानी से पहुंच हो जाने से ये इलाके प्रत्यक्ष तौर पर और संवृद्धि के जरिए परोक्ष रूप से भी लाभान्वित होंगे। यह सड़क दूरदराज़ स्थानों को बेहतर ढंग से जोड़ने में भी सहायक होगी। इस क्षेत्र में भारत सरकार और बैंक के बीच पूरी तरह विकसित भागीदारी है और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को दिया जाने वाला यह चौथा ऋण सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों का सिलसिलेवार ढंग से समर्थन करने की हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है।''*

आशा है कि इस परियोजना से विश्व बैंक की भारत के संदर्भ में देश की सहायता-संबंधी रणनीति के व्यापकतर उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस रणनीति में राजमार्गों पर गतिरोधों का निर्धनता कम करने और निजी क्षेत्र के नेतृत्त्व में संवृद्धि के मार्ग में एक प्रमुख बाधा के रूप में उल्लेख किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण *(नेशनल हाईवेज़ ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया)* द्वारा यह परियोजना छह वर्ष में पूरी की जाएगी। *इंटरनेशनल बैंक फ़ॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवेलपमेंट (आईबीआरडी)* द्वारा दिया जाने वाले इस ऋण का भुगतान 20 वर्षों में करना होगा। पहले पांच वर्ष तक कोई भुगतान नहीं करना होगा। यह ऋण भारत को मानक वित्तीय शर्तों पर दिया गया है।

*भारत में विश्व बैंक की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्न वेबसाइट देखें:*

*http://www.worldbank.org.in/*